

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शके 1948-अप्रैल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, जनवरी 29, 2026

संख्या एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1134:-सां. आ. 153/2026 - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन इयूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण-2 के अनुसार “निर्वाचन इयूटी पर मतदाता” से कोर्ड मतदान अभिकर्ता, कोर्ड मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन इयूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है। उक्त परिभाषा में अधिग्रहित किए गए वाहनों के चालक, खलासी आदि सम्मिलित नहीं है। नियम 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) जारी किया हुआ है।

उक्त नियम 35 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अनुसरण में पूर्व आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ.135/2019) को अधिक्रमित करते हुए **पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों** के निर्वाचन में निर्वाचन इयूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करता है :-

- निर्वाचक द्वारा सूचना:-** (1) कोर्ड भी निर्वाचक, जो निर्वाचन इयूटी पर है नियम 58 के अधीन मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम 7 दिन या इससे कम ऐसी अवधि जिसकी रिटर्निंग अधिकारी अनुमति देवे, पूर्व किसी भी दिवस को डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, संलग्न प्ररूप-1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा।
- (2) पूर्वोक्त प्ररूप-1 में ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद्/पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या,

पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके मतदान इयूटी की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

- (3) प्ररूप-1 में सूचना निर्वाचक द्वारा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पृथक-पृथक प्रेषित की जायेगी। यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने पूर्वोक्त उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निर्वाचन इयूटी पर है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।

2. **डाक मतपत्र का प्ररूप :-** निर्वाचन इयूटी पर मतदाता के लिये डाक मतपत्र उसी तरह का होगा जैसा मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले नियम 29 के अधीन आयोग द्वारा विहित साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शब्द 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित हुये कुल मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मुद्रित अन्तिम क्रम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके पृष्ठ भाग पर रबड की मुद्रा से 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जावेगा।

3. **डाक मतपत्रों का जारी किया जाना:-**

- (1) रिटर्निंग अधिकारी, मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक से मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा। चुनाव कार्य में नियोजित किए गए कार्मिकों द्वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके, इसके लिए यह उचित होगा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान ही कार्मिकों को डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराकर उन्हें वापस प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली जाए। इस हेतु प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर हैल्प डैस्क की व्यवस्था की जाए, जहां डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही एक सील्ड बॉक्स की व्यवस्था भी की जाए, ताकि ऐसे कार्मिक मतपत्र में अपना मत अभिलिखित करने हेतु आवश्यक पूर्तियों के उपरान्त डाक मतपत्र के लिफाफों को इस प्रकार उपलब्ध करायें गए बॉक्स में डाल सके।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र भेजने से पूर्व संलग्न प्ररूप-2 में एक रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टियों का विवरण यथा पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति या यथा स्थिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या एवं उस मतदाता की क्रम संख्या अभिलिखित की

जायेगी और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये अंकित किया जाये कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(3) जारी किये गये डाक मतपत्रों के क्रम संख्यांक के विवरण वाले रजिस्टर को रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित सामग्री भी भेजेगा :-

- (क) निर्वाचक द्वारा घोषणा, संलग्न प्ररूप-3 के अनुसार,
- (ख) छोटा लिफाफा - 'क', संलग्न प्ररूप-4 के अनुसार,
- (ग) बड़ा लिफाफा - 'ख', संलग्न प्ररूप-5 के अनुसार, तथा
- (घ) निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश, संलग्न प्ररूप-6 के अनुसार।

(5) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोर्ड डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषित को अविलम्ब व्यक्तिशः परिदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र को डाक द्वारा प्रेषित करता है तो उक्त उप पैरा (4) में वर्णित मतपत्र व अन्य सामग्री को एक बड़े लिफाफे में रख कर समुचित डाक टिकट के साथ प्रेषित करेगा।

(7) लिफाफा 'ख' पर भी समुचित डाक टिकट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाये जायेंगे।

(8) अगर ऐसे किसी मतदाता, जिसे डाक मतपत्र जारी किया जा चुका है, की निर्वाचन ड्यूटी निरस्त कर दी जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपत्र से ही मतदान करेगा, अपने निर्धारित केन्द्र में व्यक्तिशः मतदान नहीं कर सकेगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी यथा संभव प्रशिक्षण सत्र में ही डाक मतपत्र निर्वाचक को व्यक्तिशः परिदत्त करेगा।

(10) निर्वाचन के दौरान सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों को नियोजित किया जाता है। चुनाव कार्य में नियोजित पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके, इसके लिए यह उचित होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त मात्रा में डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा ऐसे पुलिसकर्मियों को डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन

पत्र चुनाव ड्यूटी आदेश के साथ ही उपलब्ध करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षको को यह निर्देश भी प्रदान किए जा सकते हैं कि चुनाव कार्य में नियोजित पुलिसकर्मियों से आवेदन संकलित कर जिला निर्वाचन कार्यालय/रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय को सुपुर्द कर दिए जायें। जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त ऐसे आवेदनों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को यथाशीघ्र भिजवा दिया जाए। इस प्रकार यथा समय प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवश्यक जांच के पश्चात् डाक मतपत्र के हकदार पुलिसकर्मियों को भी मतदान दलों की रवानगी के समय मतपत्र व्यक्तिशः सुपुर्द कर दिए जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र पर मतदान संबंधी कार्यवाही कर रिटर्निंग अधिकारी को मतदान दलों की रवानगी के स्थल पर सुपुर्द किया जा सकेगा और इसके लिए वहीं व्यवस्था लागू रहेगी जो चुनाव/मतदान कार्य में नियोजित अन्य कर्मिकों के लिए इस पत्र में बताई गई है।

(11) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक के ब्यौरे अंकित किये हुये प्ररूप-2 के रजिस्टर को एक पैकेट में मुहरबंद कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जिला परिषद या यथा स्थिति, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और वह तारीख जिस दिन वह इसे मुहरबंद करें, अभिलिखित करेगा। उक्त मुहरबंद पैकेट को वह अन्य मुहरबंद निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा देगा।

4. **डाक मतपत्र पर मत का अभिलेखन:-** कोर्ड निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, संलग्न प्ररूप-6 में 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे 'छोटा लिफाफा-क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा। उक्त छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बड़े लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।

5. **डाक मतपत्र लौटाना:-** (1) डाक मत पत्रों को निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता रिटर्निंग अधिकारी को डाक से अथवा अन्य रीति से प्रेषित कर सकेगा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाये।

(2) किन्तु डाक मत पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करने की व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से रिटर्निंग अधिकारी को चाहिये कि वह अपने कार्यालय में तथा मतदान दलों की रवानगी स्थल तथा मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर एक सील्ड बॉक्स प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए अलग-अलग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखें जिससे निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता डाक मतपत्र को

लिफाफे में बंद कर उक्त सील्ड बॉक्स में डाल सकें। इस प्रकार रखे गये बॉक्स को प्रतिदिन सांयकाल रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खोला जाकर प्राप्त डाक मतपत्रों को इस हेतु रखे गये रजिस्टर, जिसका प्ररूप-7 संलग्न हैं, में दर्ज किया जायेगा और मतों की गणना तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

6. **डाक मतपत्रों का पुनः जारी किया जाना:-** (1) किसी मतदाता द्वारा उसे भेजे गए डाक-मतपत्र एवं अन्य सामग्रियां यदि किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तो उसके द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाता को उसे डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन स्वयं निर्वाचक को परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा।
 (2) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी से डाक मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी को ऐसी रीति से उपयोग किया है कि वे उपयोग में लाने योग्य नहीं रहते हैं एवं रिटर्निंग अधिकारी का समाधान इस असावधानी के बारे में हो जाता है तो निर्वाचक द्वारा लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों के बदले मतपत्र एवं कागजपत्रों का एक दूसरा सैट निर्वाचक को जारी कर दिया जाएगा।
 (3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्याओं को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा।
7. **डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना:-** (1) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गए हों।
 (2) मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियत समय के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त प्ररूप-5 के लिफाफे (लिफाफा-ख) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।
 (3) उपरोक्त उप पैरा (1) में मतगणना प्रारम्भ करने के लिये नियत समय तक प्राप्त सभी लिफाफों, (लिफाफा-ख) को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।
 (4) यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप-4 के लिफाफे (लिफाफा-क) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे (लिफाफा-क) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर देगा।

- (5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे (लिफाफा-क) और उसके साथ प्राप्त प्ररूप-3 में निर्वाचक की घोषणा को पुनः लिफाफे-ख में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे जिन्हें मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद का नाम एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।
- (6) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् प्ररूप-3 में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पृथक पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप-4 के किसी लिफाफे को (लिफाफा-क) खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त उप पैरा-5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।
- (7) प्ररूप-4 में उन लिफाफों को, (लिफाफा-क) जिनके मामले में उपरोक्त उप पैरा-6 के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गई है, एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।
- (8) उपरोक्त उप पैरा-7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा-
- (i) यदि उस पर कोर्ड चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिये चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
 - (ii) यदि उस पर कोर्ड मत अभिलिखित नहीं है; या **मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या**
 - (iii) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोर्ड नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;
 - (iv) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या
 - (v) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत हो गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
 - (vi) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।
 - (vii) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि यह तय करना संभव नहीं हो कि सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।
- उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाक

मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण I - ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से "x" (क्रॉस) अथवा "✓" (रार्ड टिक) का अंकन पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण II - डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(9) रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधि मान्य मतों में जोड़कर परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उन्हें सुनायेगा।

(10) तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पृथक-पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद का नाम एवं सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

भवदीय,

राजेश वर्मा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।